॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 1544/08

65

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

25000 रुपये RUPEES 25000

493388

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

007
28 DEC 2007
मथुरा

1. भूमि का प्रकार — कृषि भूमि
2. मोहल्ला / ग्राम / मौजा कुरौली अलीनगरपुर तहसील व जिला मथुरा
3. भूमि की इकाई (हैक्टेयर) रकबा 0.826 हैक्टेयर का हिस्सा 4/5 यानी 0.6600 हैक्टेयर
4. सम्पत्ति का प्रकार : कृषि भूमि
5. पेड़ों का मूल्यांकन....नहीं
6. बोरिंग / कुआ / अन्य.. नहीं
7. प्रतिफल की धनराशि.. 2500000/--रुपये
8. स्टाम्प हेतु मालियत 2500000/—रुपये
9. स्टाम्प देय 250000/—रुपये
10. सरकारी दर भूमि सड़क से दूर 1200000/—रुपये प्रतिएकड़ जो नवीन रेट लिस्ट के पृष्ठ सं0 32 क्रमांक 29 पर दर्ज है।

कार्यक्षेत्र उ0नि0 मथुरा — प्रथम / द्वितीय

अरविन्द कुमार

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

RUPEES 25000 रुपये

493389

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

007

मथुरा

(2)

प्रथमपक्ष की संख्या (1) सुधीर शर्मा पुत्र बृजकिशोर निवासी........ डीग, जिला भरतपुर व
विक्रेता का विवरण
खिल्लीसिंह [illegible] व आजादसिंह पुत्रगण स्व0 श्री ऊदलिया व श्रीमती रूफेदी पत्नी स्व0 श्री ऊदलिया निवासीगण नगला कुम्हेरिया भाग ग्राम दंतिया तहसील व जिला मथुरा विक्रेता प्रथमपक्ष व श्री पातीराम पुत्र श्री गंगीसिंह निवासी अकबरपुर तहसील छाता जिला मथुरा व अरविन्द कुमार पुत्र श्री बंगालीमल निवासी लाजपत नगर महोली रोड, मथुरा मुहयदा वै धारक द्वितीयपक्ष पक्षगण इस लेखपत्र के हैं।

RUPEES 25000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

493390

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(3)

द्वितीयपक्ष की संख्या (1)

क्रेता का विवरण

प्रदीप कुमार अग्रवाल पुत्र स्व० श्री जमुनाप्रसाद अग्रवाल निवासी 111, श्रीजमुनाधाम कालौनी गोवर्धन चौराहा, मथुरा

493391

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(4)

हमकि सुधीर शर्मा पुत्र बृजकिशोर निवासी भूडागेट, डोग, जिला भरतपुर "राजस्थान" व ... खिल्लीसिंह [illegible] व आजादसिंह पुत्रगण स्व0 श्री ऊदलिया व श्रीमती सफेदी पत्नी स्व0 श्री ऊदलिया निवासीगण नगला कुम्हेरिया भाग ग्राम दतिया तहसील व जिला मथुरा विक्रेता प्रथमपक्ष व श्री मतीराम पुत्र श्री मंगीसिंह निवासी अकबरपुर तहसील छाता जिला मथुरा व अरविन्द कुमार पुत्र श्री बंगालीमल निवासी लाजपत नगर महोली रोड, मथुरा मुहायदा वे धारक द्वितीयपक्ष पक्षगण इस लेखपत्र के हैं।

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

493392

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

007

2 0 DEC 2007

मथुरा

(5)

जो कि आराजी संक्रमणीय भूमिधरी खाता नम्बर–14 व खसरा नंबर–71 रकबा 0.326 हैक्टेयर लगानी 19.35 रुपया सालाना वाके मौजा संखोहा अलगरपुर तहसील व जिला मथुरा का हिस्सा 4/5 मिल्कियत विक्रेता प्रथमपक्ष है और सरकारी कागजात माल में विक्रेता प्रथमपक्ष का ही नाम बहैसियत मालिक दर्ज है। जिस हिस्से 4/5 पर विक्रेता प्रथमपक्ष का कब्जा है और जिसके विषय में विक्रेता प्रथमपक्ष को हर तरह के अधिकार प्राप्त है और जो हर तरह के झगड़े झंझटों व कर्जों आदि से पाक साफ है जिस हिस्सा 4/5 में सिवाय विक्रेता प्रथमपक्ष के अन्य किसी का कोई हक हिस्सा व सम्बन्ध नहीं है न कोई ऐसा व्यक्ति अथवा वस्तु है जो विक्रेता प्रथमपक्ष के हिस्से 4/5 का बैनामा करने में कोई रुकावट या बाधा पैदा कर सके उक्त आराजी पर किसी भी वित्तीय

RUPEES 25000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

493393

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

संस्था बैंक आदि या व्यक्ति विशेष का कोई भी बार या भार किसी भी प्रकार का नहीं है यानि कि बेची जाने वाली आराजी हिस्सा 4/5 एक मात्र पाक साफ मिल्कियत विक्रेता प्रथमपक्ष की ही है मौजे की आराजी का सड़क से दूर होने की वजह से सरकारी रेट 1200000/–रुपया प्रतिएकड़ का है और बेचे जाने वाली आराजी हिस्सा 4/5 की स्टाम्प हेतु मालियत 2500000/–रुपया है कृषि से कोई खास आय नहीं हो पाती है सौभाग्य से इस समय कीमत अच्छी मिल रही है बेचने में विक्रेता प्रथमपक्ष का सरासर लाभ है कीमत के प्राप्त रुपये को कहीं भी लगा देने से विक्रेता प्रथमपक्ष को एक अच्छी व निश्चित आय हो जायेगी प्रथमपक्ष ने अपनी उक्त आराजी के बेचने का मुहायदा बै दिनांक–8.9.2006 जिसका निबंधन कार्यालय उ0नि0 मथुरा में बही नंबर–1 जिल्द 3858 के सफा 349/364 नंबर–9989 पर हुई द्वितीयपक्ष से तय किया था मुहायदा बै की शर्तों के अनुसार व उसके अनुपालन में यह विक्रय पत्र द्वितीयपक्ष को शामिल कर उसकी सहमति से किया जा रहा है। अतः उक्त आराजी हिस्सा 4/5

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

493394

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(7)

को प्राप्त
को समस्त अधिकारों सहित जो विक्रेता प्रथमपक्ष व मुहायदा वै द्वितीयपक्ष
हैं या भविष्य में प्राप्त हो सकते हों बएवज 2500000/—पच्चीस लाख रुपया. जिसके
आधे 1250000/—बारह लाख पचास हजार रुपया होते हैं। बदस्त प्रदीप कुमार
अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री जमुनाप्रसाद अग्रवाल निवासी 111, श्रीजमुनाधाम
कालौनी गोवर्धन चौराहा, मथुरा के हक में बै कतई कर दिया और बेच दिया
और कीमत का कुल रुपया खरीदार से पहले ही प्राप्त कर बेची गई उक्त आराजी
हिस्सा 4/5 पर खरीदार का वाकई कब्जा व कब्जा मालिकाना करा दिया। खरीदार
बेची गई आराजी हिस्सा 4/5 का सम्पूर्ण स्वामी हुआ। खरीदार समस्त अधिकार
मालिकाना प्रयोग में लावें और स्वयं जो चाहे सो करें अब विक्रेता प्रथमपक्ष व विक्रेता
प्रथमपक्ष व उसके वारिसानों का बेची गई उक्त आराजी से कोई भी सम्बन्ध किसी
भी प्रकार का शेष नहीं रहा न भविष्य में कदापि हो सकेगा। यदि बेची गई उक्त
आराजी हिस्सा 4/5 के सम्बन्ध में कभी कोई विवाद किसी भी प्रकार का उत्पन्न हो

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

493395

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(8)

या बेची गई उक्त आराजी का थोड़ा या कुल कब्जा खरीदार से निकल जावे या
खरीदार को कुछ खर्च करना पड़े या देना पड़े या कोई बार बरामद हो तो उसकी
समस्त जवाबदेही व खर्चा अदालत व अदा करद। रूपया मय जर समन व जर लागत
व सूद व हर्जा खरीदार व्य विक्रेता प्रथमपक्ष जिम्मे है और खरीदार वह सब मुझसे व
विक्रेता प्रथमपक्ष वारिसानों व विक्रेता प्रथमपक्ष चल अचल सम्पत्ति से हस्ब जाब्ता मय
खर्चे के वसूल करलें । आराजी एक फसला है आराजी कृषि कार्य में आ रही है आराजी
में इस समय कोई फसल नहीं खड़ी है न ही आराजी में कोई पेड़ आदि है । विक्रेता
अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है। खरीदार अपना दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों
में करालें जिसमें मुझ विक्रेता की पूर्ण रजामन्दी व स्वीकृति है। उक्त आराजी के 200
मीटर (संगलग्निंग) में कृषि कार्य हो रहा है। फोटो प्रमाणित राजेन्द्र प्रसाद पाठक

RUPEES 25000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

RUPEES 25000 रुपये

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

493396

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

007 निर्गत तिथि 20 DEC 2007 हस्ताक्षर मथुरा

(9)

एडवोकेट ने किये हैं। उक्त प्रलेख क्रेता विक्रेता के कहे अनुसार गवाहों के समक्ष उन्हें
पढ़ाव सुनाकर उनके निर्देशानुसार ड्राफ्ट किया गया है। विक्रेता ने अपना सम्पूर्ण अंश
हिस्सा 4/5 बेचा है। अब विक्रेताओं का खसरा नंबरान में कुछ भी अंश भूमि शेष नहीं
है। हासदोली मुख्तारनामा आम दि0 9.12.2004 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सब
रजिस्ट्रार मथुरा में बही नंबर-4 खण्ड 1 के सफा 271 पर नंबर-6 पर दिनांक-9.12.
2004 हुई है रासबिहारी पुत्र श्री मोहनलाल अग्रवाल निवासी पाठक गली, राजाधिराज
बाजार, मथुरा को उक्त प्रदीप कुमार पुत्र श्री जमुना प्रसाद जी निवासी जमुनाधाम
कालोनी गोवर्धन रोड मथुरा की ओर से उनके द्वारा हस्ताक्षरित प्रलेख प्रस्तुत करने व
निबंधन कराने आदि के पूरे पूरे अधिकार प्राप्त हैं।
बेची गई भूमि में हिस्सा 1/5 भूमि विक्रेता सुधीर शर्मा की है जिसको उसने बजरिये
बैनामा दिनांक-26.9.2007 जिसका निबंधन कार्यालय उ0नि0 मथुरा में प्रलेख संख्या-11564
पर हुआ, मुख्तारसिंह आदि से खरीदी व 3/5 भाग भूमि शेष विक्रेताओं की है।

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

493397

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

28 DEC 2007

लिहाजा यह बैनामा बखुशी राजी खूबसोचसमझकर लिख दिया कि सनद रहे और वक्त पर काम आवे।

नोट : सफा 2 की लाइन 3 में व सफा 2 की लाइन 2 में शब्द, खिल्लीसिंह व शब्द व आजादसिंह के बीच की इबारत पेन से कटी है।

दिनांक— 3.1.2008

कम्प्यूटराईज्ड : गोपाल कृष्ण झारिया मथुरा

ड्राफ्ट किया : सुभाष कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट,मथुरा।

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

TEN RUPEES

रु. 10

Rs. 10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

46AC 444821

[illegible] - 15000 ([illegible])

[illegible]

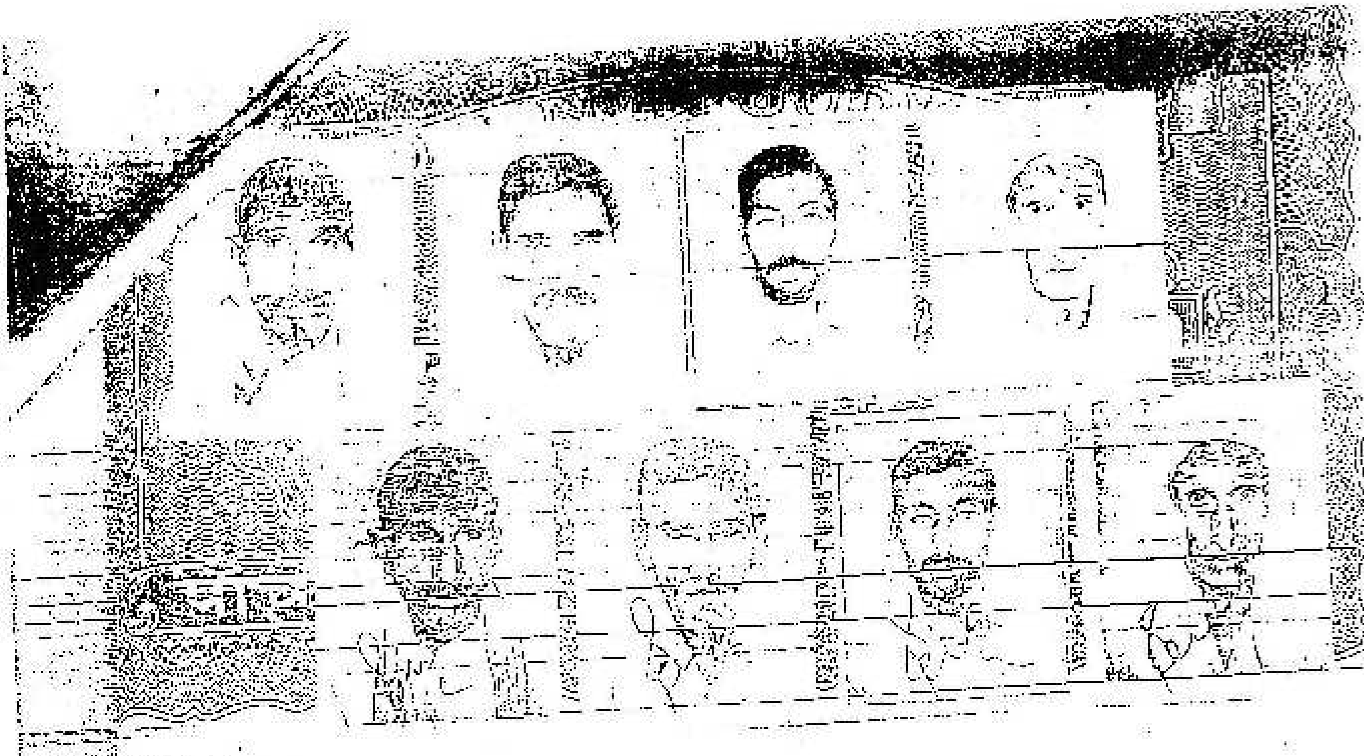

इकरारनामा आराजी

स्थित- मौजा सलोहा असगरपुर

सौदा 10,00,000/- रुपये

बयाना 2,00,000/- रुपये

स्टाम्प देय- 40,000/- रुपये

क्षेत्राधिकार उपनिबन्धक प्रथम मथुरा

****

अतकि सिप्पी सिंह व भजन सिंह व आजाद सिंह पुत्रगण श्री रूदलिया व श्रीमती सपेदी पत्नी श्री रूदलिया व करतार सिंह पुत्र श्री पृथ्वी सिंह व श्रीमती गुलकन्दी पत्नी श्री पृथ्वीसिंह निवासीगण- नगला कुम्हेरिया भाग चौरा, तहसील व जिला मथुरा व विजयसिंह पुत्र श्री [illegible] व श्रीपालक पुत्र श्री [illegible] सिंह निवासी [illegible] तहसील छाता जिला मथुरा व अरविन्द कुमार पुत्र श्री [illegible] निवासी [illegible] नगर, महोली रोड, मथुरा क्रेता- [illegible]

K. Singh

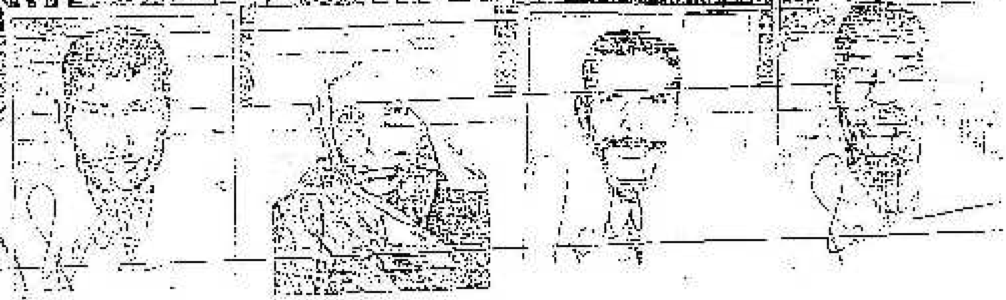

{2}

एकजाजगण इस लेखपत्र के है विदित हो कि कृषि भूमि खाता सं. 14 व खसरा नंबर [illegible] रकबा 0.826 हेक्टेयर लगानी 13.35 रूपये सालाना व खाता संख्या 440 खसरा नं0 73 रकबा 0.413 [illegible] लगानी 6.63/-रूपये सालाना व खाता संख्या 154 खसरा नं0 74 रकबा 0-826 लगानी 13.25/-रूपया सालाना स्थित मौजा [illegible] तहसील व जिला मथुरा। सम्पूर्ण अंश आराजी [illegible] मालिक है। व

[illegible]

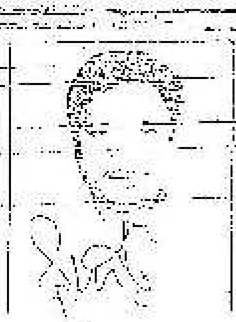

(3)

मुकिरान विजय सिंह खसरा नं0 73 के मालिक है। व मुकिरान दुर्गी खसरा नं0 74 के मालिक है। इस प्रकार हम प्रथमपक्षगण उक्त आराजी के मालिक व भूमिधर है। तथा विक्रेता प्रथमपक्ष ही उक्त आराजी के मालिक काबिज व दाखिल चले आते है। उक्त आराजी हर प्रकार के झगड़े झंझट व कर्ज आदि से पाक व साफ है कहीं भी रहन व शिरकत आदि नहीं है। उक्त आराजी में विक्रेता प्रथमपक्ष का ही नाम दर्ज कागजात सरकारी है। विक्रेता प्रथमपक्ष के उक्त आराजी का अन्य कोई मालिक व हकदार नहीं

INDIA NON JUDICIAL

5000 रु Rs 5000

FIVE THOUSAND RUPEES

SEP 2006

{4}

है और प्रथमपक्ष को उक्त सम्पूर्ण अंश आराजी की बाबत हर प्रकार के मालिकाना व हस्तान्तरण आदि के अधिकार प्राप्त है। प्रथमपक्ष को अपनी व अपने परिवार की जरूरतों हेतु रुपयों की आवश्यकता है। इसलिये प्रथमपक्ष ने अपनी उक्त सम्पूर्ण अंश आराजी को बेचने का इकरारनामा मबलिग 10,00,000/- दस लाख रुपये में श्रीपाल सिंह पुत्र श्री मंगी सिंह निवासी- अकबरपुर, तहसील छाता जिला मथुरा व अरविन्द कुमार पुत्र श्री नागालीमल निवासी- लाजपतनगर, महोली रोड, मथुरा कर्ता द्वितीयपक्ष के साथ नीचे लिखी शर्तों के अनुसार तय हो गया है। जिसके दोनों पक्ष

मुख्तारी अखिलेश कुमार

INDIA NON JUDICIAL

Rs 5000

FIVE THOUSAND RUPEES

(5)

... दोनों पक्ष स्वयं पाबन्द होंगे।

1- यह कि प्रथमपक्ष ने अपने मे 2,00,000/-दो लाख रुपये द्वितीयपक्ष से नकद बतौर रजिस्ट्री इकरारनामा द्वितीयपक्ष से प्राप्त कर लिये है बाकी रुपये वक्त रजिस्ट्री बैनामा प्रथमपक्ष द्वितीयपक्ष से प्राप्त करेंगे।

2- यह कि खर्चा बैनामा स्टाम्प फीस आदि सब खरीदार के जिम्मे तय हुआ है।

3- यह कि म्याद करने बैनामा दिनांक 28.09.2007 तय हुई है। उक्त म्याद में हम प्रथमपक्ष विक्रेता अपनी उक्त सम्पूर्ण आराजी की [illegible] कानूनी पूर्ति करके व मौके पर पैमाइश कराकर व [illegible]

INDIA NON JUDICIAL

5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

(6)

द्वितीयपक्ष को हर प्रकार से विश्वास में लेकर अपनी लिखित सूचना खरीदार को देकर उक्त आराजी का बैनामा खरीदार के हक में या खरीदार चाहे जिसके हक में कर देगें। अगर न करें तो खरीदार द्वितीयपक्ष को अधिकार होगा कि वह अपना ब्याने का रुपया जमा करते हुये बाजाब्ता बजरिये अदालत प्रथमपक्ष से बैनामा रजिस्ट्री करा लें, ऐसी दशा में खरीदार के समस्त हर्जे-खर्चे की पूरी जिम्मेदारी हम विक्रेता प्रथमपक्ष की होगी। जिसको द्वितीयपक्ष नियमानुसार वसूल करने को सक्षम रहेंगे।

4- यह कि उक्त कानूनी पार्टी आदि की दशा में हम विक्रेता प्रथमपक्ष स्वयं हरप्रकार कानूनी का

साक्षी अधिवक्ता

को० कै० नि० बिजनौर

(7)

जिम्मेदार रहेंगे व द्वितीयपक्ष से प्राप्त रकम का रुपया मय हर्जा-खर्चा लागत व सूद के द्वितीयपक्ष को वापिस कर देंगे।

5- यह कि अवाप्त आराजी का कब्जा मय ... द्वितीयपक्ष को दिया जायेगा।

6- यह कि दिया गया स्टाम्प शुल्क नियमानुसार विक्रय पत्र में समायोजित किया जायेगा, चाहे विक्रय पत्र कर्ता द्वितीयपक्ष के हक में हो या उसके द्वारा नामित व्यक्ति के हक में हो, कोई भी आपत्ति नहीं होगा।

अतः यह इकरारनामा ... अपनी राजीखुशी से लेख दिया कि प्रमाण रहे और समय

INDIA NON JUDICIAL

5000 Rs 5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

{8}

पर कमल [illegible] उक्त [illegible] के निर्देशानुसार [illegible] के समक्ष पढ़कर व सुनाकर [illegible]

ड्राफ्ट किया गया है।

[illegible signatures]

दिनांक [illegible]

[illegible] लिखा [illegible] पुत्र [illegible] प्रोपराइटर, मथुरा।

ड्राफ्ट किया के० एन० चौधरी एडवोकेट, रजिस्ट्री-कार्यालय, मथुरा।

[illegible handwritten lines]

न्यायालय उप जिलाधिकारी, मथुरा

वाद संख्या 134/2009—2010

प्रदीप कुमार अग्रवाल बनाम सरकार

धारा 143 ज०वि०एवं भू०व्य०अ०

मौजा सतोहा अशगरपुर

[illegible] आदेश

[illegible] प्रदीप कुमार अग्रवाल पुत्र स्व० जमुनाप्रसाद अग्रवाल निवासी 111 श्री जमुनाधाम कालोनी [illegible]
[illegible] द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र दिनांक—2.4.2009 में अंकित किया गया है कि वह मौजा सतोहा
[illegible] मथुरा की भूमि खाता संख्या 14 खसरा संख्या 71 रकबा 0.826 है, भूराजस्व 13.35
अशगरपुर तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या 14 खसरा संख्या 71 रकबा 0.826 है, भूराजस्व 13.35 रुपये कुल 2किता रकबा 1.652है. के
रुपये व खाता संख्या 174 खसरा संख्या 74 रकबा 0.826है. भूराजस्व 13.35 रुपये कुल 2किता रकबा 1.652है. के [illegible] पशुपालन आदि कृषि
[illegible] भूमिधर दर्ज कागजात है। यह भूमि कृषि बागवानी, मत्स्यपालन, कुक्कुट पालन, पशुपालन आदि कृषि
[illegible] में नहीं लायी जा रही है। उक्त कथन की पुष्टि में अपना शपथ—पत्र प्रस्तुत किया गया है।
[illegible] प्रार्थना—पत्र पर तहसीलदार, मथुरा द्वारा प्रस्तुत जाँच आख्या दिनांक—23.5.2010 में अंकित किया
गया है कि मौजा सतोहा अशगरपुर तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या 14 खसरा संख्या 71 रकबा 0
[illegible] भूराजस्व 13.35 रुपये व खाता संख्या 174 खसरा संख्या 74 रकबा 0.826है, भूराजस्व 13.35 रुपये कुल
[illegible] रकबा 1.652है के प्रदीप कुमार अग्रवाल पुत्र स्व० जमुनाप्रसाद अग्रवाल निवासी 111 श्री जमुनाधाम कालोनी
[illegible] मथुरा संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। प्रस्तावित भूमि वर्तमान में कृषि एवं कृषि से संबंधित
[illegible] कुक्कुट पालन, पशुपालन आदि कृषि के उपयोग में नहीं लायी जा रही है, बल्कि स्थल पर
[illegible] में स्थित है। प्रस्तावित भूमि किसी सरकारी योजना के अन्तर्गत अर्जन हेतु विचाराधीन नहीं है तथा
[illegible] है। प्रस्तावित भूमि के संबंध में [illegible] के आधार पर जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम
की धारा 143 के अधीन [illegible] घोषित किये जाने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। तहसीलदार, मथुरा
द्वारा अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की गई है।
वाद दर्ज कर पक्षकारों को नोटिस जारी किया गया। क्षेत्रीय लेखपाल/सचिव भू०प्र०स० श्री [illegible]
[illegible] का सशपथ बयान दिनांक 3.6.2010 को दर्ज किया गया। लेखपाल ने अपने सशपथ बयान में कहा है कि
[illegible] सतोहा अशगरपुर तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या 14 खसरा संख्या 71 रकबा 0.826 है,
[illegible] 13.35 रुपये व खाता संख्या 174 खसरा संख्या 74 रकबा 0.826है, भूराजस्व 13.35 रुपये कुल 2किता
रकबा 1.652है के प्रदीप कुमार अग्रवाल पुत्र स्व० जमुनाप्रसाद अग्रवाल निवासी 111 श्री जमुनाधाम कालोनी [illegible]
[illegible] मथुरा संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। उक्त भूमि मौके पर कृषि बागवानी, मत्स्यपालन, कुक्कुट
पालन, पशुपालन आदि कृषि के उपयोग में नहीं लायी जा रही है। प्रस्तावित भूमि आवासीय [illegible] एवं
[illegible] एवं अन्य किसी सरकारी संस्था के अधिग्रहण प्रस्ताव में नहीं है। उक्त भूमि के संबंध में कोई
वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। लेखपाल द्वारा अपने सशपथ बयान के साथ प्रस्तावित भूमि का
[illegible] दाखिल किया गया है। वादी के विद्वान अधिवक्ता को एक पक्षीय रूप से सुना गया तथा
पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि किसी भी पक्ष द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं
की गई। लेखपाल के सशपथ बयान एवं तहसीलदार की संस्तुति आख्या से स्पष्ट है कि उक्त भूमि मौके पर
कृषिक प्रयोजन में नहीं लायी जा रही है।
क्षेत्रीय लेखपाल/सचिव भूमि प्रबन्धक समिति के सशपथ बयान दिनांक—3.6.2010 व तहसीलदार, मथुरा
की संस्तुति आख्या दिनांक—23.5.2010 के आधार पर मौजा सतोहा अशगरपुर तहसील व जिला मथुरा की भूमि
खाता संख्या 14 खसरा संख्या 71 रकबा 0.826 है, भूराजस्व 13.35 रुपये व खाता संख्या 174 खसरा संख्या 74
रकबा 0.826है, भूराजस्व 13.35 रुपये कुल 2किता रकबा 1.652है को जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम
की धारा 143 के अन्तर्गत इन शर्तों के साथ गैर कृषिक प्रयोजन हेतु उद्घोषित किया जाता है कि यह उद्घोषणा
[illegible] भूमि के कृषिक उपयोग में लाये जाने पर स्वतः निरस्त मानी जायेगी। तहसीलदार, मथुरा की उक्त संस्तुति
[illegible] आदेश का भाग होगी। आदेश की एक प्रति तहसीलदार, मथुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाये
कि यदि उक्त भूमि भविष्य में कृषि कार्य के प्रयोग में लायी जाती है तो तत्काल आख्या प्रस्तुत करें ताकि उक्त
उद्घोषणा निरस्त की जा सके। आदेश की एक प्रति उप निबन्धक मथुरा को अभिलेखों में पंजीकृत करने हेतु
[illegible] बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे।

(राकेश कुमार [illegible])
उप जिलाधिकारी, मथुरा

दिनांक—

यह आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

(राकेश कुमार [illegible])
उप जिलाधिकारी, मथुरा

दिनांक—

उद्धरण खतौनी

(मुहर: तहसीलदार सदर)

ग्राम क्रमांक : 07010200101 ग्राम का नाम : सतोहा असगर पुर परगना : मथुरा

जनपद : मथुरा फसली वर्ष : 1412-1417 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका संसाश उसकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2			3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो									
00014	रुदलिया	रहीरी	नि. स्वयं	1409फ	71	0.8260		1412फ. व आदेश श्रीमान [illegible] नि0 मथुरा आदेश दि. 4.5.05 के अनुसार [illegible] 11 [illegible] 1 पर मौजा सतोहा असगरपुर के खाता सं0 14 से उल्लिखित मृतक के स्थान पर [illegible] सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह व [illegible] पत्नी स्व0 पृथ्वी सिंह व [illegible] सिंह व [illegible] सिंह [illegible] व [illegible] सिंह [illegible] पत्नी [illegible] नि0 [illegible] [illegible] ARK.13.5.05 1415फ. व आदेश श्रीमान [illegible] मथुरा [illegible] संख्या 495TM ता दि 25.03.08 के अनुसार खाता संख्या 14 के [illegible] 0.825हे0 [illegible] 13.35 के [illegible] [illegible] 11 [illegible] 16. 02.08 के [illegible] 25.03.08 1415फ व आदेश श्रीमान [illegible] मथुरा [illegible] संख्या 495TM ता के 28.05.08 के अनुसार खाता संख्या [illegible] 71/0.826 से [illegible] पुत्र [illegible] 28-05-08	

क्रमांक : 07010200101 ग्राम का नाम : सताला असगर पुर परगना : मथुरा तहसील : सदर

जनपद : मथुरा फसली वर्ष : 1412-1417 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	मौलिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (है.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आदेश या उसका संराश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2			3	4	5	6	7-12	13
					कुल गाटे : 1	कुल क्षे : 0.8260	13.35		

हस्ताक्षर

54

उद्धरण खतौनी

ग्राम कोड : 07010200101 ग्राम का नाम : सतोहा असगरपुर परगना : मथुरा तहसील : मथुरा

जनपद : मथुरा फसली वर्ष : 1418-1423 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	भूमिधर का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की क्रमांक संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	आरोपित भू-राजस्व या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आदेश का उल्लेख आदेश संख्या तथा दिनांक सहित और आदेश देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2			3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क	भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।								
[illegible]	रतन सिंह	दलीप सिंह	नि. नगला कुन्डेरिया भाग ग्राम	1409फ	71	0.8260			
	प्रदीप कुमार अग्रवाल	यमुना प्रसाद अग्रवाल	नि. 1 1, श्री जमुनाबाग कॉलोनी मथुरा						
				कुल गाटे :	1 कुल से :	0.8260	13.35		

१२

[illegible] आकार-पत्र ४१

(नियम [illegible])

[illegible] खसरा ([illegible])

ग्राम [illegible] परगना [illegible] तहसील मथुरा जिला मथुरा

नई संख्या	क्षेत्रफल	[illegible]	[illegible]	[illegible]	पिछले बन्दोबस्त की भूमि श्रेणी (Soil Class)	सिंचाई का साधन	[illegible]
१	२	३	४	५	६	७	८
८६	०·०६०	५मि०	०·०६०	८९०	बरहा मल्लाल स्वामी		चकमार्ग
८५	०·२२१	५मि०	०·२२१	३२१	बरहा मल्लाल स्वामी	नलकूप	२६८
	०·८८२	२मि०	०·७१०	५३२	बरहा मल्लाल स्वामी	नलकूप	४८
		५मि०	०·१६२		बरहा मल्लाल स्वामी	नलकूप	
		८मि०	०·०१०		बरहा मल्लाल	असिंचित	
८७	०·२२८	२मि०	०·१५८	१५५	बरहा मल्लाल स्वामी	नलकूप	२६९
		५मि०	०·०८०		बरहा मल्लाल स्वामी	नलकूप	
८८	०·२३८	५मि०	०·१८८	२२६	बरहा मल्लाल स्वामी	नलकूप	२६९
		८मि०	०·०५०		बरहा मल्लाल	असिंचित	
८९	०·२२८	५मि०	०·२२८	४२६	बरहा मल्लाल स्वामी	नलकूप	१६८
९०	०·२०५	८मि०	०·००५	८१०	बरहा मल्लाल	—	चकमार्ग
		६मि०	०·२००		बरहा मल्लाल स्वामी	—	
९१	०·२२८	८मि०	०·२२८	१३	बरहा मल्लाल स्वामी	नलकूप	१२८
९२	०·५१३	८मि०	०·५१३	११८	बरहा मल्लाल स्वामी	नलकूप	१२३
९३	०·५१३	८मि०	०·५१३	४४२	बरहा मल्लाल स्वामी	नलकूप	१८०
९४	०·२२८	८मि०	०·२२८	१८८	बरहा मल्लाल स्वामी	नलकूप	१२८
९५	०·२२८	८मि०	०·२२८	३२७	बरहा मल्लाल स्वामी	नलकूप	३२८
	५·८८५						
	जोड़	५·५११				सिंचित नलकूप	५·५५०
	अ-जोत	०·२६५				असिंचित	०·०८१

चकबन्दी लेखपाल के हस्ताक्षर — [illegible] के हस्ताक्षर — सहायक चकबन्दी अधिकारी के हस्ताक्षर

विशेष सूचना — [illegible] हो जाने पर भरा जायगा।

[illegible] पत्र [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

सत्य प्रतिलिपि

राजस्व अभिलेखपाल
मथुरा

ह० मिलान कर्ता
ह० पुरस्ती कर्ता
ह० नकल कर्ता

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	६	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
	[illegible]		२	[illegible]	६	[illegible]				
	[illegible]	[illegible]		[illegible]						

3491(1)

[illegible]

सत्य प्रतिलिपि

राजस्व अभिलेखपाल

५६	[illegible]	२६ [illegible]	[illegible]	
	[illegible]	३१ [illegible]		
	[illegible]	२	[illegible]	[illegible]
५७	[illegible] १३६१ फ०		१०४१ १५ [illegible]	
	[illegible]			
५८	[illegible] १३६१ फ०		११० ५-२२ [illegible]	
	[illegible]			

इ० मिलान कर्ता [illegible]

इ० दुरुस्ती कर्ता [illegible]

इ० नकल कर्ता [illegible]

4132 (1)

[illegible] [illegible]

[illegible] स्टाम्प [illegible]

प्रार्थना पत्र देने का दिनांक 07/5/08

नकल तैयारी का दिनांक 28/5/08

नकल देने का दिनांक 30 [illegible]

[illegible] [illegible]

29/5/08

[illegible]

सत्य प्रतिलिपि

29/5/08

राजस्व अभिलेखागार

मथुरा

[illegible]

आज दिनांक 08/09/2006 को

बही सं 1 जिल्द सं 3858

पृष्ठ सं 349 से 364 पर क्रमांक 9989

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

मुकेश श्रीवास्तव

उप निबन्धक

मथुरा

8/9/2006

[illegible]

क्रमांक 98 दिनांक [illegible] मूल्य 2 [illegible]

नाम श्री [illegible]

पता [illegible] (68)

डी० के० नरेश कुमार आनन्द
स्टाम्प रोजाड़िश्न
कलेक्ट्रेट, मथुरा

आज दिनांक **16/02/2008** को

बही सं **1** जिल्द सं **4822**

पृष्ठ सं **263** से **284** पर क्रमांक **1549**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

प्र0 मो0 शाकिर
उप-निबन्धक
मथुरा-प्रथम
16/2/2008